न्यायालय भू– अभिलेख़ अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– भागीरथ राम R.A.S.

राजस्व प्रकरण सं. 614/2018

प्रार्थीगण

1. पृथ्वीराज पुत्र लालचंद जाति ओसवाल
2. मुनालाल पुत्र चम्पालाल जाति ओसवाल निवासीयान बालोतरा

विप्रार्थीगण :–

1. हवियां पत्नी विशनाराम जाति भील निवासी बालोतरा
2. पुजारी महादेव मन्दिर होटलू तह. पचपदरा
3. मांगाराम पुत्र रामाराम जाति भील निवासी होटलू
4. रिकबचन्द पुत्र भेरचन्द जाति ओसवाल निवासी मूगंड़ा हाल बालोतरा
5. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा
6. हरीराम पुत्र उकाराम जाति भील निवासी बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भु.रा. अधिनियम 1956

हेतु पैमाईश जरिये पत्थरगड्ढी

दिनांकः 26.06.2018

आदेश

उपस्थित :–

श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

श्री दुर्गेश दैया अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 01 व 06 की ओर से

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल. आर एक्ट का इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं, कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 274 रकबा 13 विस्वा, खसरा सं. 275 रकबा 09 विस्वा, ख़सरा सं. 276 रकबा 18 बीघा सरहद मौजा होटलू पटवार क्षेत्र बिठुजा तहसील पचपदरा में आयी हुई है। प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी कृषि भूमियों के विप्रार्थीगण पडौसीयान है, प्रार्थीगण की भूमि को अवैध व अनुचित तरीके से जबरन दबाकर हड़प करना चाहते है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण के खेत के पास ही आया हुए है, जिस कारण हमेशा खेत की सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण की सहमति से नेख़म पेमाईश करवा कर सीमा को लेकर हमेशा होने वाले विवादों को निपटाने हेतु कई बार कहा किन्तु विप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की समझाईश की ओर कोई ध्यान नही दिया, उल्टे प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त के खेतों के चारो तरफ बनी माठो को तोड कर नष्ट करने व प्रार्थीगण की कृषि भूमियों के रकबे पर अतिक्रमण हेतु अमादा हुए, उक्त प्रार्थना पत्र से पहले प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार साहब पचपदरा के आदेश से सीमाज्ञान भी दिनांक 10.11.2017 को करवाया, किन्तु विप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए। उपरोक्त विवाद की स्थिति को हमेशा–हमेशा से सुलझाने के लिए प्रार्थीगण के लिए अपने खातेदारी खेतों की नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी करवाया जाना आवश्यक हो गया, जिस हेतु श्रीमान्जी के समक्ष वर्तमान आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

...2..

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, विप्रार्थी सं. 01 व 06 की ओर से जबाव प्रस्तुत हुआ, दिगर विप्रार्थीगण बावजुद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी,

विप्रार्थी सं. 01 व 06 ने लिखित जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नैखमबंदी पैमाईश करवाते है, तो विप्रार्थी सं. 01 व 06 को कोई उज्र एतराज नही है, साथ ही विप्रार्थी सं. 01 व 06 के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 459/273 रकबा 25 बीघा की भी नाप पैमाईश कर पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 01 व 06 को सुना, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, जमाबंदी खतौनी एवं नक्शा किश्तवार, सीमाज्ञान फर्द का अवलोकन व अध्ययन किया ।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने माफिक इस्तदुआ प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया, तथा विप्रार्थी सं. 01 व 06 ने नाप पैमाईश करने हेतु सहमति दी। पक्षकारान् की ओर से जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये उससे यह स्पष्ट है, कि प्रार्थीगण खसरा सं. 274, 275, 276 के खातेदार है, तथा विप्रार्थी सं. 01 व 06 खसरा सं. 459/273 रकबा 25 बीघा के खातेदार है, तथा मौके पर विवाद का निस्तारण करने हेतु नाप पैमाईश कर पत्थरगढ़ी करवाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कृषि भूमि खसरा सं. 274 रकबा 13 विस्वा, खसरा सं. 275 रकबा 09 विस्वा, खसरा सं. 276 रकबा 18 बीघा कुल रकबा 19.02 बीघा सरहद मौजा होटलू पचपदरा की लटठा ट्रेस में तरमीम अनुसार सीमाज्ञान नाप जरीये पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कानाना को भू–मापक आयुक्त नियुक्त किया जाता है, भू–मापक आयुक्त को निर्देश दिया जाता है, कि अपने स्तर पर टीम गठित कर उक्त भूमियो की स्थाई बिन्दुओ से नाप कर बाद नाप मौके पर पत्थरगढ़ी कर न्यायालय में पालना रिपोर्ट मय नक्शा प्रस्तुत करे। साथ ही विप्रार्थी सं. 01 व 06 की भूमि खसरा सं. 459/273 रकबा 25 बीघा मौजा होटलू की भी पत्थरगढ़ी की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज तारीख 26.06.2018 को सुनाया गया ।

(भागीरथ [illegible] R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
भू–अभिलेख अधिकारी (S.D.O.),
बालोतरा

Scanned by CamScanner